निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली 2011 के नियम–17 के उपनियम (5) के अन्तर्गत

कार्यालय–मुख्य शिक्षा अधिकारी,नैनीताल।

पत्रांक–मान्यता–आर0टी0ई0 / 9104-05 / अग्रेजी–मा0नवीनीकरण / 2019–20 दिनांक 31/3/2020

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य,
काइड कान्वेन्ट इण्टरनेशनल स्कूल,रानीबाग,
भीमताल,नैनीताल। (कोड संख्या–81)

विषय– **निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम–17 के उप नियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।**

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक–4397–98 / आंग्ल भाषा मान्यता / 2016–17 दिनांक–03.09.2016 द्वारा आपके विद्यालय को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु तीन वर्ष तक की अवधि हेतु नवीन औपबन्धिक मान्यता स्वीकृति प्रख्यापित शासनादेशों में उल्लेखित शर्तो के अधीन प्रदान की गयी थी। आपके स्वघोषणा सह आवेदन पत्र दिनांक–शून्य एंव खण्ड / उप शिक्षा अधिकारी,भीमताल,नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या व संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय, काइड कान्वेन्ट इण्टरनेशनल स्कूल,रानीबाग,भीमताल नैनीताल,को कक्षा प्री से 8 तक विद्यालय संचालन हेतु दिनांक–01–09–2019 से दिनांक–31–03–2024 तक के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मान्यता की शर्ते इस कार्यालय के पत्रांक–4397–98 / आंग्ल भाषा मान्यता / 2016–17 दिनांक–03.09.2016 द्वारा दी गयी औपबन्धिक मान्यता के अधीन एंव परिशिष्ठ–4 के रूप में रहेंगी।

01.मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होंगी।

02.विद्यालय निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एंव बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

03.विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पडोस के कमजोर एंव शिक्षा से वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एंव अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगा पश्रनतु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मान का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

04.उपरोक्त कम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय का निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।

05.संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।

06.विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र,नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म,जाति,जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें किसी एक कारण के आधार मना नहीं करेगा।

07.विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे–

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे की किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

(दो) किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपरियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।

(आठ) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

08. विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एंव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एंव मापदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एंव खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार वर्ष 2019–20 से आगामी वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जा रही है। मानकों का उल्लघन पाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जायेगां।

• विद्यालय –परिसर का क्षेत्रफल–	50 नाली
• कुल निर्मित क्षेत्र–	22000 वर्ग फीट
• खेल का मैदान–	है।
• कक्षा–कक्षों की कुल संख्या–	15 13.50×19 वर्ग फीट
• प्रधानाध्यापक कक्ष/सह भण्डार–	01 10×10 वर्ग फीट
• शौचालय बालक/बालिका–	03 बालक 03 बालिका
• पेयजल सुविधा–	है।
• मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई–	–
• वाधा रहित–	है।
• शिक्षण अधिगमन सामाग्री–	खेलकूद/पुस्तकालय उपलब्ध है।

11.इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जाएगा। विद्यालय के नाम से अन्य कही विद्यालय संचालित नहीं किया जाएगा।

12.विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाऐं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक हेतु नहीं किया जाएगा।

13.विद्यालय सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के अन्तर्गत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14.विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15.लेखा का अंकेक्षण एंव उसका प्रमणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टटेन्ड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियामक के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।

16.राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एंव सूचनाऐं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन विद्यालय संचालन द्वारा किया जायेगा।

17.यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

18.विद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के सहायतार्थ बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।

19.परिशिष्ठ–4 के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

20.यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

21.बच्चो की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय तथा शासन/विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

20.03.20

(के0के0गुप्ता)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ0सं0– मान्यता–आर0टी0ई0/ 9104-05 /अग्रेजी–मा0नवीनीकरण/2019–20 दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01.निदेशक,माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,उत्तराखण्ड,देहरादून।

02.मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,कुमाऊॅ मण्डल,नैनीताल।

03.जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा,नैनीताल।

04.संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी।

05.कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा0शि0)
नैनीताल।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल

पत्रांक / 4397-98 / आंग्ल भाषा मान्यता / 2016–17 दिनांक 3 सितम्बर 2016

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

काईट कान्वेन्ट इन्टरनेशनल स्कूल रानीबाग (नैनीताल)

विषय:– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 6–5–2016 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार–एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी भीमताल द्वारा विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय– काईट कान्वेन्ट इन्टरनेशनल स्कूल रानीबाग (नैनीताल) को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु (तीन वर्ष)दिनांक 1–9–2016से 31–8–2019 तक अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा– 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा,परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे–

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;

(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;

(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;

Principal
KIDE Convent International School
Ranibagh (Nainital)

(आशीष कुमार बागड़वाल)
सैक्रेटरी
K.I.D.E. एजुकेशनल सोसायटी
हल्द्वानी (नैनीताल)

(पॉच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;

(छ) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) मे उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 3 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;

(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और

(आठ) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एव पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानो के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों ,एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा–

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल 2त्र395एकड भूमि
- कुल निर्मित क्षेत्र 21000वर्ग फीट
- खेल के मैदान का क्षेत्र – खेल का मैदान है
- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या 20
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष; 4 हैं
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय; है
- पेयजल की सुविधा; है
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर; है
- बाधा रहित पहुँच;
- शिक्षण अधिगम सामग्री / खेलकूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन / संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरण तयार किए जाएंगे। प्रत्येक लेखा विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

KIDE Convent International School Ranibagh (Nainital)

(आशीष कुमार बाजपेयी)
सैक्रेटरी
K.I.D.E. एजूकेशनल सोसायटी
हल्द्वानी (नैनीताल)

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या– 81है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. राज्य सरकार / मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. **परिशिष्ट–चार** के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती हैं तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय

3/9/2016

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल ।

पृ0स0 / /आंग्ल भाषा /2016–17 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नाकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी भीमताल नैनीताल।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
नैनीताल

(आशीष कुमार बाजपेयी)
सैक्रेटरी
K.I.D.E. एजूकेशनल सोसायटी
हल्द्वानी (नैनीताल)

Principal
KIDE Convent International School
Ranibagh (Nainital)

परिशिष्ट– चार

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के

नियम 17 के उपनियम (5) को देखें

मान्यता हेतु शर्तें

मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है–

(क) विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 की संख्या 21) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है,

(ख) विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु संचालित नहीं हो रहा है;

(ग) संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप विद्यालय संचालित है;

(घ) विद्यालय भवन या अन्य ढाँचागत सुविधायें या प्रांगण मात्र शैक्षिक प्रयोजनों तथा दक्षता विकास हेतु प्रयुक्त किया जाता है;

(ङ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है;

(च) विद्यालय ऐसे समस्त विवरण एवं सूचनायें उपलब्ध करायेगा जो समय–समय पर राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अधिकृत अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माँगी जायेगी। साथ ही विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने अथवा मान्यता की शर्तों की अनवरत् पूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(छ) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 एवं अनुसूची में निहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा;

(ज) विद्यालय अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के समस्त प्राविधानों का पालन करेगा;

(झ) विद्यालय अपने पड़ोस के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा–1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा (कक्षा–1 की कुल सीटों की 25 प्रतिशत सीटों के समतुल्य) की कुल सीटों के 25 प्रतिशत सीटों की सीमा तक प्रवेश देगा। सहायता प्राप्त विद्यालय उनको प्राप्त वार्षिक आवर्ती सहायता के अनुपात में अथवा कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करेगा;

(ञ) ऐसे विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत अपने निकट (पड़ोस) के अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षाएं कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश प्रदान करेंगे;

(ट) प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को बच्चों से प्रभारित की जाने वाले शुल्क का विवरण उपलब्ध करायेंगे;

(ठ) विद्यालय बच्चों से किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क प्रभारित नहीं करेंगे तथा बच्चों के प्रवेश के समय बच्चे अथवा उसके माता–पिता अथवा अभिभावकों हेतु अनुवीक्षण प्रक्रिया नही अपनायेंगे;

(ड़) मान्यता प्रदान की जाने वाली शर्तों का उल्लंघन करने पर विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर दी जायेगी;

(ढ) विद्यालय प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर के आधार पर डायस प्रपत्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

(आशीष कुमार बाजपेयी)
सैक्रेटरी
K.I.D.E. एजुकेशनल सोसायटी
हल्द्वानी (नैनीताल)

Principal
K.I.D.E. Conv... School
...(Nainital)